

**न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रंका।**  
**राजस्व वाद संख्या-456/धारा 145 द0प्र0स0**  
**रामसेवक साव वैगरह वनाम गिरवर राम वैगरह**

**आदेश**

S. No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date																						
26	6/022	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>इस वाद की कार्यवाई में उभय पक्ष द्वारा अपना-अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा गया है। वाद की कार्यवाई निम्न भूमि पर धारा 145 द0प्र0स0 के अन्तर्गत चल रही है।</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>खाता</th> <th>प्लॉट</th> <th>रकबा</th> <th>उ0</th> <th>द0</th> <th>पु0</th> <th>प0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">चुटिया</td> <td>27</td> <td>314</td> <td>1.90ए0</td> <td rowspan="2">सडक</td> <td>सुबेदार</td> <td>रामलाल</td> <td>बैजनाथ</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>303</td> <td>0.90ए0</td> <td>कहार</td> <td>कहार</td> <td>कहार</td> </tr> </tbody> </table> <p>प्रथम पक्ष का कथन है कि ग्राम चुटिया के खाता सं0 27 प्लॉट सं0 314 रकबा 1.90ए0 तथा खाता 35 प्लॉट सं0 303 रकबा 0.90ए0 दोनों ही भूमि सम्मिलात भूमि है तथा आपस में कोई सीमा रेखा नहीं है दोनों खाते की भूमि एक दुसरे से मिला हुआ है। जिसपर प्रथमपक्ष शांतिपूर्ण दखल कब्जा एवं स्वामित्व में है। उपरोक्त भूमि में से खाता सं0 27 प्लॉट 314 रकबा 1.90ए0 भूमि की जमाबंदी रामसेवक साव के पिता ललु साव के नाम से कायम की गई है रजिस्टर 2 के पेज नं0 37/॥ पर वासगीत वाद सं0 42/69-70 पर अंकित है। उपरोक्त भूमि से द्वितीय पक्ष जमीन लूटना चाहता है। इनके द्वारा वाद भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल कब्ज घोषित करने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>द्वितीय पक्ष द्वारा अपनी ओर से लिखित जवाब दाखिल किया गया। इनका कथन है कि प्रथम पक्ष द्वारा जिस बिहार विशेषाधिकृत वास भूमि नियमावली 1948 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि जिसका खाता 27 प्लॉट 314 में रकबा 1.90ए0 प्राप्त करने का दावा किए जा रहा है अवैध है। क्योंकि यह पर्चा निवास करने हेतु दिया जाता है जिसकी सीमा 0.12ए0 ही है। ऐसे में 1.90ए0 का पर्चा अवैध है। दिनांक 22.06.2011 को अनुमण्डल दण्डाधिकारी रंका द्वारा धारा 145द0प्र0स0 के अन्तर्गत अंतिम आदेश पारीत किया गया था जिसमें स्पष्ट ह अंकित किया गया है कि वाद में वर्णित भूमि के खाता 27 प्लॉट 314 में रकबा 1.90ए0 रामसेवक साह को बिहार विशेषाधिकृत व्यक्ति वास में भूमि मूधृति अनियम के अन्तर्गत पर्चा के माध्यम से प्राप्त है जिसका मांग पंजी के पृष्ठ 37/॥ पर कायम है। अन्य प्रथम पक्ष द्वारा दाबी किया जा रहा भूमि खाता 35 प्लॉट 303 रकबा 0.90ए0 के संबंध में कोई दस्तावेज प्रथमपक्ष द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं</p>	ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा	उ0	द0	पु0	प0	चुटिया	27	314	1.90ए0	सडक	सुबेदार	रामलाल	बैजनाथ	35	303	0.90ए0	कहार	कहार	कहार	
ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा	उ0	द0	पु0	प0																		
चुटिया	27	314	1.90ए0	सडक	सुबेदार	रामलाल	बैजनाथ																		
	35	303	0.90ए0		कहार	कहार	कहार																		

किया गया। अनुमण्डल दण्डाधिकारी रंका स्वयं वाद में वर्णित भूमि का स्थल निरीक्षण किए जिसमें द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा का कोई प्रमाण नहीं पाया गया जिसके उपरांत धारा 145द0प्र0स0 के अन्तर्गत ग्राम चुटिया के खाता सं0 35 प्लॉट 303 में रकबा 0.40ए0 पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा देखते हुए कब्जा घोषित कर दिया गया। क्रिमिनल रिविजलन प्रथम पक्ष द्वारा दायर किया जिसमें पुनः प्रारंभ हुई है। इनका कथन है कि ग्राम चुटिया के खाता सं0 35 प्लॉट सं0 303 रकबा 0.40ए0 पर द्वितीय पक्ष का शांतिपूर्ण दखल कब्जा जमींदार के वक्त से है। द्वितीय पक्ष के दादा सुखी कहार दखल काबिज थे तथा उसके बाद इनके पिता तत्यपश्चात द्वितीय पक्ष दखल कब्जा में चले आ रहे है। वाद में वर्णित प्लॉट सं0 303 में रकबा 0.40ए0 सहीत अन्य प्लॉट सं0 321 में रकबा 1.60ए0, प्लॉट 406 में रकबा 0.18ए0, प्लॉट सं0 372 में रकबा 0.05ए0, प्लॉट सं0 321 में रकबा 0.16ए0 कुल 2.39ए0 सुखी कहार दखल काबिज जीवन पर्यंत रहे वाद में द्वितीयपक्ष के पिता फिर द्वितीय पक्ष दखल काबिज हैं।

वाद की कार्यवाई में प्रथम पक्ष द्वारा गवाही हेतु उमेश कुमार गुप्ता पिता स्व0 रामचन्द्र साव को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट किया है कि रामसेवक साव चाचा गोतिया में है। इनके विरोध में गवाही देने नहीं आया हूँ। खाता 27 प्लॉट याद नहीं लगभग 1.90ए0 भूमि है। प्रथम पक्ष को भूदान से पर्चा मिला है। प्रथम पक्ष के द्वारा गवाह सं0 2 के रूप में स्वयं गवाही दी गई। इनके अनुसार विवादित भूमि खाता सं0 35 एवं 27 प्लॉट 303, 314 कुल रकबा 1.90ए0 इसका रसीद इनके पिता ललु साव के नाम से कटता है। विवादित भूमि पर इनका कब्जा है न्यायालय बताया गया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान प्रश्नगत भूमि ग्राम गोदरमाना में स्थित है बताया गया। जबकि वास्तविक ग्राम चुटिया है। इनके अनुसार वासगीत पर्चा कितनी भूमि दी जा सकती है की जानकारी इनको है। 2.0ए0 भूमि वास हेतु दी जा सकती है ये बतायें है। जो पर्चा इन्हे मिला है उसमें प्लॉट 303 की भूमि अंकित नहीं है गवाही में बताया गया है। प्रथम पक्ष गवाह सं0 3 उपेन्द्र साव के न्यायालय में अपनी गवाही दर्ज कराई है। इनके अनुसार प्रश्नगत भूमि का रसीद ललु साव पिता रामरूप साव के नाम से कटता है। रसीद में खाता 27 प्लॉट 314 रकबा 1.90ए0 अंकित है प्लॉट 303 भी है लेकिन रसीद में यह अंकित नहीं है। अगर भोला राम द्वारा रामसेवक साव के विरुद्ध गवाही देने को कहते तो गवाही नहीं देता। प्रथम पक्ष में सात आदमी हैं जिसमें मेरा भी नाम है। गिरवर राम वगैरह प्लॉट 303 पर दावा करते है। द्वितीय पक्ष गवाह सं0 1 प्रयाग राम ने अपनी गवाही दी है। इनके अनुसार विवादित भूमि पर दशई राम का दखल कब्जा रहा है अभी गिरवर राम का दखल कब्जा है। द्वितीय पक्ष गवाह सं0 2. उमेश राम ने गवाही दर्ज कराई है इनके अनुसार प्रश्नगत भूमि खाता सं0 35 प्लॉट 303 का रकबा 0.90ए0 एवं खाता 27 प्लॉट 314 रकबा 1.90ए0 है। द्वितीय पक्ष की 0.40ए0 भूमि

खाता 35 प्लॉट 303 में चौहदी उ०-पी०डब्लु०डी० रोड, द०-गोविन्द साव, पु०-रास्ता, प०-रामसेवक साव वगैरह द्वितीय पक्ष इस जमीन पर जब से मुझको होस हुआ है खेती करते एवं कब्जा में देख रहा हूँ। द्वितीय पक्ष गवाह सं० 3 जानकी यादव ने अपनी गवाही दर्ज कराई है इनके अनुसार प्रश्नगत भूमि ग्राम चुटिया खाता 35 प्लॉट 303 रकबा 0.4ए० का वास्तविक विवाद है। रामसेवक साव द्वारा प्लॉट 314 में केश किए हैं। 0.40ए० भूमि की चौहदी उ० पिच रोड, द० गोविन्द साव, पु० कच्ची रास्ता, प० रामसेवक साव वगैरह है। इस 0.40ए० पर बहुत पहले से गिरवर राम वै० पिता दसई राम वगैरह का जोत कोड़ देखते आ रहे हैं। द्वितीय पक्ष गवाह सं० 4 गिरवर राम ने अपनी गवाही दर्ज कराई है जिनके अनुसार ग्राम चुटिया के खाता रास्ता, पं० ललु साह है प्रथम पक्ष इस जमीन को लूटना चाहता है। प्रथम पक्ष के पूर्वज यहां के नहीं थे बाहर से ये आया है जबकि हमारे पूर्वज यहीं के पुराना वंसिदा है। इस जमीन पर हमारी दखल कब्जा दादा के समय से है।

उभय पक्ष द्वारा दाखिल जवाब प्रस्तुत गवाह एवं दाखिल कागजातों पर गौर करने के उपरांत न्यायालय को ज्ञात होता है कि प्रथम पक्ष को जो पर्चा वास हेतु मिला है उसमें प्लॉट सं० 303 नहीं है। जबकि द्वितीय पक्ष का दावा खाता 35 प्लॉट सं० 303 रकबा 0.40ए० चौहदी उ० पिच रोड, द० गोविन्द साव, पु० कच्ची रोड, प० रामसेवक साव विवरण की भूमि पर द्वितीय पक्ष का कब्जा पूर्वज के समय से चला आ रहा है। प्रथम पक्ष इस पर दावाकर विवाद उत्पन्न किए हैं। अतः न्यायालय द्वितीय पक्ष का दावा वाद में वर्णित भूमि में से प्लॉट 303 रकबा 0.40ए० पर सही पाती है। एवं इस रकबा 0.40ए० भूमि पर द्वितीय पक्ष गिरवर राम वगैरह का दखल कब्जा 145द०प्र०स० के अर्न्तगत घोषित किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

  
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,  
रंका।